न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प घण्टेल
प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.

दिनांकः– 21.10.2021

प्रार्थना पत्र संख्या : 149/2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार बनाम सुगनाराम आदि

–: **आदेश** :–

तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत घण्टेल, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट–'ए' एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम दान्दू तहसील चूरू के खसरा नम्बर 1052/273, 1051/273, 272, 271, 999/259, 979/257, 256, 223, 225, 220, 1222/231, 1223/231 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है परन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् नजरी नक्शा, मौका रिपोर्ट एवं सहमति पत्रों का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि उक्त खसरा नम्बरों में से रास्ता अंकित करने में समस्त खातेदारों की सहमति के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही समस्त खातेदार मौके पर उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में खातेदारों की अनुपस्थिति में बिना खातेदारों की सहमति के उनकी खातेदारी कृषि भूमि में रास्ते का अंकन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समस्त खातेदारों की सहमति नहीं होने से इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प घण्टेल में जारी किया गया।

21/10/21

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू